

अंतिम डिक्री बमुकदमे इस्तदाई

(ओडी 20, पल 6-7, जस्य विधी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पेदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
व इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

सुखमन्दर सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 133/2021

निर्णय दिनांक :- 22.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिरमाल कर्तई सवस उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वासी स्वयं पेज होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादायक वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान कायनाकारी अधिनियम 1955 वादी-वादिता साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 9 एस बी की जमाबन्दी संख्या 2073 ता 76 के खाता संख्या 43 में सुखमन्दर सिंह पूर्ण हिस्सा रहन ओ.बी.सी. शाखा श्रीकरणपुर के स्थान पर सुखमन्दर सिंह पूर्ण हिस्सा रहन पी.एन.बी. शाखा श्रीकरणपुर अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बद्रस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे

आज दिनांक 22.11.2021 को यह पर्या डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पेदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इयूटी	00	00	मैहनताना वकली पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 484

प्रतिनिधि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पेदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर 0/11/21

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पेदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर